

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2025/ 6972  
प्रार्थीगण

दिनांक - 27.08.25

बनाम

अप्रार्थीगण

1 हड्डुमानराम पुत्र  
आदूराम 2 कानू देवी  
पत्नि आदूराम जाति  
जाट निवासी सांईयों का  
तला बाटाडू तहसील  
बाटाडू जिला बाडमेर।

1 गंगाराम पुत्र केसराराम 2 अणदू पत्नि कुम्भाराम 3  
दमाराम पुत्र रूपाराम 4 पूराराम पुत्र जेठाराम 5  
दलाराम पुत्र खेताराम 6 हड्डुमानराम पुत्र मगाराम  
जाति जाट निवासी सांईयो का तला बाटाडू तहसील  
बाटाडू जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 349/2025

दिनांक- 19/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का सांईयों का तला तहसील बाटाडू  
जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1691/1247 रकबा 1.0679 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर  
सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992  
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये  
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके  
पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6973-76

दिनांक- 27.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांईयों का तला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण हड्डुमानराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी सांईयों का तला बाटाडू तहसील बाटाडू जिला  
बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी सांईयो का तला बाटाडू तहसील बाटाडू जिला  
बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर